सेवा में,

मननीय श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री भारत गणराज्य,

प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लाक,

नई दिल्ली–110011

विषय :- गौ माता के लिए गोचर भूमि की व्यवस्था करने के लिए, गौ माता की मृत्यु के बाद उनका अंग भंग रोकने के लिए एवं गौ माता की मृत्यु के पश्चात गौ माता को भूमि समाधि देने के लिए भूमि की व्यवस्था करने के लिए क़ानून बनाने एवं अध्यादेश लाने के लिए निवेदन पत्र |

यह कि निवेदनकर्ता आचार्य अजय गौतम

1. यह कि निवेदनकर्ता एक पुजारी है तथा पूजा पाठ का काम करता है तथा साथ में सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण हिन्दू धर्म व सामाजिक मुददे जनहित याचिका के रूप में निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक विषयों को जिम्मेदार नागरिक होने के कारण उठाता है। जैसे कि केदारनाथ त्रास्दी, बाल भिक्षावृत्ति, मानव रहित रेलवे क्रोसिंग, सामाजिक न्याय, गंगा का निर्मलीकरण, आपदा प्रबंधन इत्यादि कुछ मुख्य मुददे देश की विभिन्न उच्चन्यायालय व सवोच्चन्यायालय में लम्बित हैं तथा जनहित के लिए कई आदेश पारित कराये हैं।

2. यह कि निवेदनकर्ता की विभिन्न प्रार्थना पत्रों पर आपके ही कार्यालय के द्वारा संबन्धित विभागों को एडवाईजरी भी जारी करी

3. यह कि निवेदनकर्ता राश्ट्रीय स्वंय संघ का कार्यकर्ता भी रहा है तथा पिछले 15 वर्षों से हमेशा विश्व हिन्दू परिषद् ,राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना वक्तव्य/पक्ष रखता आया है।

4. यह कि आप भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं तथा देश के समस्त धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय व उनकी धार्मिक मान्यताओं की रक्षा व सुरक्षा का दायित्व आपके ऊपर है।

5. यह कि भारत गणराज्य में अस्सी प्रतिशत आबादी हिन्दू धर्म को मानने वाली है तथा गऊ माता, माँ गंगा एवं गायत्री जिसके आधार स्तम्भ हैं जिसके कारण हिन्दू धर्मावलम्बी गऊमाता को पशु ना मानकर गऊमाता का पवित्र स्थान देते हैं और शास्त्र व पुराणों के अनुसार यह माना जाता है कि गऊमाता में 33 कोटि देवताओं का वास है और आप स्वयं एक गऊ भक्त के रूप में और धर्मपरायण व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते है।

6. यह कि वर्ष 2014 में लोक सभा चुनाव में प्रचार के दौरान आपने गुलाबी क्रान्ती के विरूद्ध एक नारा दिया था।

7. यह कि केन्द्र व राज्य सरकार गऊ माता की तस्करी और उसकी निर्मम हत्या रोकने में केन्द्र व राज्य सरकारें पूर्णतः विफल रहीं है।

8. यह कि केन्द्र व राज्य सरकारें ;Prohibition of Slaughter & Regulation of Temporary Migration or Export) Act, 1995 को लागू करने में पूर्णतः असफल रही हैं।

9. यह कि गऊ माता भी हिन्दू धर्मावलम्वीयों का धन है जो कि राज्य व केन्द्र सरकार की नाक के नीचे गैर कानूनी तौर पर आजादी के ७० साल बाद भी निर्ममता से गऊ माता काटी जा रही हैं।

10. यह कि देश के प्रधानमंत्री व विधय्यिका के सर्वोच्च्य पदाधिकारी है तथा देश का 80 प्रतिशत हिन्दू जिसने पार्टी , पंथ, विचारधारा इत्यादि से ऊपर उठ कर आपके नाम पर वोट दिया और आपको अपना प्रधानमंत्री चुना अत : आपसे

निवेदन है कि निम्नलिखित विषयों पर चल रहे संसद सत्र में या तो कानून बनाए या अध्यादेश लाएं

क . हर गाँव या शहर मे गौ माता के लिए गोचर भूमि की व्यवस्था करने के लिए.

ख . हर गाँव या शहर मे गौ माता की मृत्यु के बाद उनका अंग भंग रोकने के लिए या गौ माता की मृत्यु के बाद उनकी खाल उतारने से रोकने के लिये.

ग. गौ माता की मृत्यु के पश्चात गौ माता को भूमि समाधि देने के लिए भूमि की व्यवस्था करने के लिए. |

भवदीय

आचार्य अजय गौतम